भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 746
दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा

746. श्री शफी परम्बिल:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1 जनवरी, 2025 तक देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों द्वारा संरक्षित किया जाता है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2025 तक पोषण ट्रैकर आंकड़ो के अनुसार देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की कुल संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) से (ङ) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और नियोजन के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को 4,500 रुपये प्रति माह, लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को 3,500 रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को 2,250 रुपये प्रति माह के परिभाषित लागत साझा अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों

(एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को मानदेय प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करती है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये प्रति माह का कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन पदाधिकारियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु की सभी पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु की सभी पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (दुर्घटना से मृत्यु और पूर्ण स्थायी दिव्यांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी दिव्यांगता) दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई थी।

*****

अनुलग्नक I

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सामाजिक सुरक्षा" के संबंध में दिनांक 07.02.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 746 के भाग (क) में संदर्भित विवरण

1 जनवरी, 2025 को पोषण ट्रैकर आंकड़ो के अनुसार देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	53,992
अरुणाचल प्रदेश	6,163
असम	60,393
बिहार	1,10,808
छत्तीसगढ़	51,806
गोवा	1,205
गुजरात	52,363
हरियाणा	23,570
हिमाचल प्रदेश	18,710
झारखंड	37,764
कर्नाटक	65,433
केरल	33,066
मध्य प्रदेश	95,634
महाराष्ट्र	1,06,191
मणिपुर	11,145
मेघालय	5,979
मिजोरम	2,237
नागालैंड	3,969
ओडिशा	73,475
पंजाब	25,763
राजस्थान	60,945
सिक्किम	1,307
तमिलनाडु	43,872

तेलंगाना	33,283
त्रिपुरा	10,107
उत्तर प्रदेश	1,77,563
उत्तराखंड	19,304
पश्चिम बंगाल	1,04,363
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	715
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	404
दिल्ली	10,578
जम्मू और कश्मीर	27,070
लद्दाख	1,168
लक्षद्वीप	58
पुदुचेरी	789
संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	430
कुल	**13,31,622**

****